3320/24

उत्तराखण्ड शासन

Online Public Data Entry Summary

UKPDE2024090404376

DISTRICT NAME :टिहरी गढ़वाल SRO :टिहरी

UKPDE2024090404376 From 16 Feb 2023 25-Oct-2024 2:09:08

Appointment Date: 25 Oct 2024 Appointment Time:02:30 p.m to 03:30 p.m Appointment TokenNo:2

Deed/Article Type :Lease

Sub-Deed/Sub-Article :Lease(Not Exceeding 30 years)

Village/Location For Index :गढ़

Village/Location/Road Selected for Circle RateList :गढ़

Khewat : Khatoni :00019

Khasra :796 799 800 801 802 803 804 806

House/Flat No:

Area :3,390.0000 वर्ग मीटर

Latitude - Longitude 0.0000000000

Land Value :0.00 Construction Value :0.00

Transaction Value :0.00 Market Value :0.00

Advance :0.00 Lease Period :27.00 Avg. Rent :833.33

Stamp Duty :1,200.00 Regn Fees :600.00

Pasting Fees :100 Page :26

व्यवसायिक निर्माण का विवरण

क्र.सं	निर्माण का प्रकार	क्षेत्रफल

आवासीय निर्माण का विवरण

क्रं सं	निर्माण क्षेत्र	निर्माण का प्रकार	निर्माण तल	ह्रास वर्ष	एका

निबंधक शुल्क का विवरण

क्र सं	भुगतान की विधि	धनराशि	संदर्भ क्रमांक
1	Cash	600.00	

स्टाम्प शुल्क का विवरण

क्र सं	भुगतान की विधि	धनराशि	संदर्भ क्रमांक	जारी दिनांक	स्टांप विक्रेता आईडी
1	e-Stamp	1,200.00	-	25-Oct-2024	15

पक्षकारों का विवरण

पक्षकार का प्रकार	पक्षकार का विवरण	हस्ताक्षर	व्यवसाय	पैन नं	मोबाइल नं	पहचान पत्र संख्या
विक्रेता / प्रथम पक्ष	श्री चिन्मय अग्रवाल पुत्र श्री दीपक अग्रवाल निवासी ५३, नियर हैप्पी होम विद्यालय, देहरादून जिला देहरादून उत्तराखण्ड Email :chinmay9889@outlook.com		Self employed		8755740295	ADHAAR : 220712146431
क्रेता / द्वितीय पक्ष	श्रीमती सैफाली अग्रवाल पत्नी श्री दीपक अग्रवाल निवासी ५२, नियर हैप्पी होम विद्यालय, देहरादून जिला देहरादून उत्तराखण्ड Email :shaifali.mssy@gmail.com		House wife		8755740295	ADHAAR : 401828738804
गवाह	श्री सोनू सिंह बेदी पुत्र श्री हरि सिंह निवासी ८७, अम्बाड़ी चेतना क्लब, विकास नगर, देहरादून जिला देहरादून उत्तराखण्ड		Self employed		9412027512	ADHAAR : 695117545167
गवाह	श्री धीरज मणी पुत्र श्री भवानी दत्त निवासी ग्राम-नैचोनी पट्टी धारअकरिया,जिला टिहरी गढ़वालउत्तराखण्ड		Self employed		9410544905	ADHAAR : 822046567200

Deed Writer /Advocate Name :D.Dumoga Adv.

भारत सरकार
Government of India

Issue Date: 20/05/2015

चिन्मय अग्रवाल
Chinmay Agrawal
जन्म तिथि / DOB : 26/04/1998
पुरुष / Male

2207 1214 6431

मेरा आधार, मेरी पहचान

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

Print Date: 15/09/2021

पता: आत्मज: दीपक अग्रवाल, 53, देहरादून रोड, हैपी होम विद्यालय के पास, ऋषिकेश **, देहरादून, उत्तराखंड, 249201
Address: S/O: Deepak Agrawal, 53, Dehradun Road, Near Happy Home School, Rishikesh **, Dehradun, Uttarakhand, 249201

2207 1214 6431

1947 help@uidai.gov.in www.uidai.gov.in

भारत सरकार
Government of India

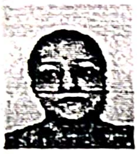

शैफाली अग्रवाल
Shaifali Agarwal
जन्म तिथि/ DOB: 21/07/1974
महिला / FEMALE

4018 2873 8804

मेरा आधार, मेरी पहचान

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

पता:
W/O दीपक अग्रवाल, 52, नज़दीक हॅपी होम स्कूल, देहरादून रोड, ऋषिकेश **, देहरादून, उत्तराखंड - 249201

Address:
W/O Deepak Agarwal, 52, Near Happy Home School, Dehradun Road, Rishikesh **, Dehradun, Uttarakhand - 249201

4018 2873 8804

1947 help@uidai.gov.in www.uidai.gov.in

भारत सरकार
Government of India

धीरज मणी
Dheeraj Mani
पिता : भवानी दत्त
Father : BHAWANI DUTT
जन्म तिथि / DOB : 16/12/1969
पुरुष / Male

8220 4656 7200

मेरा आधार, मेरी पहचान

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

पता:
-, -, नैचोली, नैचोली, नैचोली, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड, 249146

Address:
-, -, NAICHOLI, Naicholi, Naicholi, Tehri Garhwal, Uttarakhand, 249146

8220 4656 7200

1947 help@uidai.gov.in www.uidai.gov.in

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

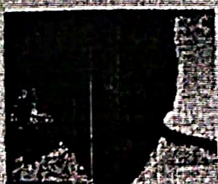

सोनू सिंह बेदी
Sonu Singh Bedi
जन्म तिथि/ DOB: 05/01/1979
पुरुष / MALE

6951 1754 5167

मेरा आधार, मेरी पहचान

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

पता:
आत्मज: हरी सिंह, 87, आमवाली, चेतना कलब, विकासनगर **, देहरादून, उत्तराखंड - 248125

Address:
S/O: Hari Singh, 87, ambadi, chetna calab, Vikasnagar **, Dehradun, Uttarakhand - 248125

6951 1754 5167

MERA AADHAAR, MERI PEHACHAN

कार्यालयः उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा)
तहसील भवन, नरेन्द्रनगर ,जनपद–टिहरी गढवाल।
फोन नं0 – 01378–227260
email- ureda.tehri@gmail.com

पत्रांक संख्या 599 /उरेडा/मु.मं. सौर स्व0यो/स0भा0/ 2023–24 दिनांक 30 जनवरी, 2024

परियोजना आवंटन पत्र

सेवा में,

सैफाली अग्रवाल
52, नियर हौप्पी होम
देहरादून।

विषयः–" मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना" के अन्तर्गत 200 कि0वा0 क्षमता के सोलर पावर प्लान्ट का आवंटन पत्र।

महोदय,

उपरोक्त योजना के अन्तर्गत आपके online आवेदन के निर्धारित शर्तो के अनुसार परीक्षणोंपरान्त उपयुक्त पाये जाने के दृष्टिगत 200.क्षमता का सोलर फोटोवोल्टाइक पावर प्लान्ट आपको निम्न शर्तो के आधार पर आवंटित किया जाता है।

कम सं0	मद	विवरण
01.	पंजीकरण संख्या–	2272
02.	संयत्र की क्षमता	200 कि0वा0
02.	निर्धारित विद्युत विकय दर	परियोजना की कमीशनिंग की तिथि के सापेक्ष मा0 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दर (वर्तमान में रू0 4.64 प्रति यूनिट)
03.	प्रस्तावित स्थापना स्थल (इस आवंटन पत्र के सापेक्ष परियोजना की स्थापना अन्य जनपद में किया जाना अनुमन्य नहीं है)	गढ,कोलधार, विकास खण्ड–चम्बा, टिहरी गढवाल।
04.	संयत्र की कमीशनिंग हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि	परियोजना आवंटन तिथि से 12 माह के अन्तर्गत
05.	संयत्र से उत्पादित विद्युत के क्रय की अवधि	संयत्र की कमीशनिंग तिथि से 25 वर्षो तक

01. योजना हेतु शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 697/I-1/2020-03/02/2020 दिनांक 22 सितम्बर 2020, संशोधित शासनादेश संख्या 72/I-1/2021/03/02/2020 TC दिनांक 25 जनवरी, 2021 एवं 385/I-1/2023-03/02/2020 दिनांक 13 मार्च, 2023 एवं पत्र संख्या– 1058/I-1/2023-03/02-2020(E-File No.30740 दिनांक 06 जुलाई, 2023 से आवंटी भलीभाँति भिज्ञ है।

02. उक्त निर्गत परियोजना आवंटन पत्र (LoA) की तिथि से आवंटी द्वारा 30 दिवस के भीतर Contract Performance Guarantee (50 कि0वॉ0 हेतु रू0 25,000/–; 100 कि0वॉ हेतु रू0 50,000/– एवं 200 कि0वॉ0 हेतु रू0 1,00,000/–) उरेडा परियोजना कार्यालय पर FD/CDR/TDR के रूप मे जिसकी वैधता न्यूनतम 2 वर्ष हो, जमा की जानी होगी। तद्नुसार CPG 30 दिवस मे जमा न होने पर आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा। परियोजना स्थापना एवं कमिशनिंग परियोजना आवंटन पत्र (LoA) से 12 माह के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य होगी। तद्नुसार स्थापना 12 माह के अन्तर्गत न होने पर आवंटन निरस्त कर CPG जब्त कर ली जाएगी।

CS CamScanner

03. कृपया इस आवंटन पत्र की प्रति के 10 दिवस के अन्तर्गत उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 के कार्यालय में सम्पर्क कर पावर परचेज एग्रीमेन्ट (PPA) हस्ताक्षरित करें।

04. पावर परचेज एग्रीमेन्ट तथा आवंटित सोलर पावर प्लान्ट की स्थापना हेतु सूचीबद्ध फर्म को जारी कार्यादेष / कार्यादेष से सम्बन्धित अभिलेख की प्रति उरेडा कार्यालय को भी अभिलेखार्थ उपलब्ध करायें।

05. सोलर पावर प्लान्ट के ग्रिड संयोजन, विद्युत उत्पादन, स्थापना / कमीशनिंग आदि से सम्बन्धित तकनीकी मानक मा0 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (UERC) द्वारा निर्धारित रेग्यूलेशन के अनुसार पूर्ण कराये जाने अनिवार्य होगें।

06. मा0 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (UERC) द्वारा स्थापना / कमीपनिंग हेतु निम्नवत शर्ते / मानक निर्धारित है, जो कि निम्नवत है:-

(a) Installation of energy meter as certified by the concerned Executive Engineer of the distribution licensee.
(b) Project completion report as verified by UREDA, the State nodal agency.
(c) Issuance of Clearance Certificate by the Electrical Inspector.
(d) Further, such generator has to demonstrate minimum 75% Performance Ratio based on the rated installed capacity in kW or MW at the time of inspection for initial commissioning."

Provided that minimum 75% Performance Ratio based on the rated installed capacity in kW or MW is demonstrated within Three months from the date of first injection of power into licensee's grid on compliance of aforesaid pre-requisites.

07. आवेदक द्वारा सोलर पावर प्लान्ट की स्थापना नवीन एंव नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार (एम0एन0आर0ई0) द्वारा निर्धारित तकनीकी मापदण्डो / के अनुरूप पूर्ण करायी जानी अनिवार्य होगी।

08. सम्बन्धित आवंटी / विकासकर्ता द्वारा Commercial Operation Date (COD) की तिथि अनुसार ही मा0 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ पर विद्युत क्रय यू0पी0सी0एल0 द्वारा किया जाएगा।

09. संयत्र की स्थापना के उपरान्त दैवीय आपदा अथवा ऐसे अन्य कारणों से सम्भावित क्षतिपूर्ति हेतु आवंटी द्वारा संयत्र का बीमा अपने व्यय पर स्वयं कराया जाना होगा।

10. आवंटी द्वारा प्रभावी MSME पॉलिसी के अन्तर्गत लाभ लिये जाने हेतु इस योजना के अन्तर्गत केवल आवंटी द्वारा प्रोपराइटरशिप के रूप में आवेदन किया जाना होगा। अन्य किसी विकल्प पार्टनरशिप फर्म, कम्पनी, ट्रस्ट अथवा सोसाइटी के रूप में इस योजना के अन्तर्गत स्थापना अनुमन्य नहीं होगी।

11. इस योजना में 01 परिवार से केवल 01 ही आवेदक को 01 ही सोलर पावर प्लान्ट आवंटित किया जाना है, यदि बिना उरेडा अभिकरण के किसी भी समय एक ही परिवार को दो सयत्र आवंटन का तथ्य गलत पाया जाता है तो उरेडा द्वारा आवंटन को निरस्त कर जमा सिक्यूरिटी (CPG) जब्त कर ली जायेगी।

12. परियोजना की कमीपनिंग (सी0ओ0डी0) से परियोजना अवधि (25 वर्षो) तक, स्थापित सोलर पावर प्लान्ट का स्वामित्व परिवार के अन्य पात्र सदस्य के अतिरिक्त किसी अन्य को हस्तान्तरित किया जाना मान्य नहीं होगा।

Agarwal

CamScanner

13. स्पष्ट करना है कि उरेडा की भूमिका मात्र सौर ऊर्जा संयत्र की स्थापना के लिए आवंटी का सुविधा प्रदान करना है। उरेडा इस योजना के लिए धन की व्यवस्था करने या जारी करने में सम्मिलित नहीं है। किसी भी स्तर पर आवंटी एंव फर्म के मध्य उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार (अनुबन्ध/करार, कार्यादेष, भुगतान, वाद–विवाद आदि) के विवाद के मामले में उरेडा वित्तीय, कानूनी या किसी अन्य प्रकार से उत्तरदायी/जिम्मेदार नहीं होगा।

14. स्पष्ट करना है कि आवंटित सोलर पावर प्लान्ट हेतु उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी MSME Policy-2023 के अन्तर्गत अनुमन्य प्रोत्साहन एंव लाभ आदि प्राप्त करने हेतु परियोजना आवंटन पत्र प्राप्त होने के उपरान्त https://investuttarakhand.uk.gov.in पर In-Principal approval (Common application form) प्राप्त करना आवश्यक होगा। अन्यथा की दशा में MSME Policy-2023 में निहित प्रोत्साहन एंव लाभ प्राप्त नहीं होगें।

अतः उपरोक्तानुसार शर्तो का अनुपालन कराते हुये "मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना" के अन्तर्गत सोलर पावर प्लान्ट संयत्र स्थापित कराने का कष्ट करें।

परियोजना अधिकारी
उरेडा–टिहरी(नरेन्द्रनगर)

IN-UK53388604330152W

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttarakhand

सत्यमेव जयते

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-UK53388604330152W
Certificate Issued Date	:	25-Oct-2024 02:03 PM
Account Reference	:	NONACC (SV)/ uk1229604/ TEHRI/ UK-TG
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UKUK122960413827474823781W
Purchased by	:	SMT SHAIFALI AGARWAL
Description of Document	:	Article 35 Lease
Property Description	:	VILL-GARH PATTI-SARJYULA TEHRI GARHWAL
Consideration Price (Rs.)	:	0 (Zero)
First Party	:	CHINMAY AGRAWAL
Second Party	:	SMT SHAIFALI AGARWAL
Stamp Duty Paid By	:	SMT SHAIFALI AGARWAL
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	1,200 (One Thousand Two Hundred only)

₹1,200

दुर्गा प्रसाद उनियाल
स्टाम्प विक्रेता
कोर्ट कम्पाउण्ड, नई टिहरी

Please write or type below this line

S Agarwal

IE 0025383374

S Agarwal

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

पट्टा विलेख Lease Deed

यह पट्टा विलेख (इसके बाद पट्टा या पट्टा विलेख कहा जायेगा)अक्टूबर 2024 माह के 25 वें दिन उप निबन्धक कार्यालय नई टिहरी, जिला टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड में पक्षकारान के बीच निम्न प्रकार निष्पादित किया जायेगा।

चिन्मय अग्रवाल पुत्र श्री दीपक अग्रवाल (आधार सं0–220712146431) (मो0 सं0–8755740295) निवासी–53, नियर हैप्पी होम विद्यालय, देहरादून, जिला देहरादून उत्तराखण्ड इसके बाद इन्हें पट्टेदाता/प्रथम पक्ष कहा जाएगा) जिनकी व्याख्या में जब तक सन्दर्भ से परे न हो उनके कानूनी उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक और प्रथम पक्ष के अनुमत नियुक्त होंगे ।

एवं

श्रीमती सैफाली अग्रवाल पत्नी श्री दीपक अग्रवाल (Aadhar Card No-401828738804) (Mob No-8755740295) निवासी–52, नियर हैप्पी होम विद्यालय, देहरादून, जिला देहरादून उत्तराखण्ड जिसे इसके बाद इन्हे पट्टेदार/द्वितीय पक्ष कहा जायेगा जिनकी व्याख्या में जब तक सन्दर्भ से परे न हो उनके कानूनी उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक और द्वितीय पक्ष के अनुमत नियुक्त होंगे।

CAgarwal.

बही संख्या 1 रजिस्ट्रीकरण संख्या 3320 वर्ष 2024

Lease
Lease(Not exceeding 30 years)

नजराना रु0 : 0.00
औसत वार्षिक
किराया रु0 : 0.00

रजिस्ट्रेशन शुल्क	प्रतिलिपि शुल्क	इलेक्ट्रानिक प्रोसेसिंग शुल्क	कुल योग	शब्द लगभग
रु0 600.00	रु0 100.00	रु0 260.00	रु0 960.00	1000

श्रीमती सैफाली अग्रवाल पत्नी श्री दीपक अग्रवाल निवासी ५२, नियर हैप्पी होम विद्यालय, देहरादून जिला देहरादून उत्तराखण्ड ने आज दिनांक 25 Oct 2024 समय मध्य 3PM व 4PM को कार्यालय उपनिबन्धक टिहरी मे प्रस्तुत किया ।

सैफाली अग्रवाल

उपनिबन्धक
टिहरी
25-Oct-2024

इस लेख पत्र का निष्पादन विलेख मे लिखित तथ्यों को सुन व समझकर श्री चिन्मय अग्रवाल पुत्र श्री दीपक अग्रवाल निवासी ५३, नियर हैप्पी होम विद्यालय, देहरादून जिला देहरादून उत्तराखण्ड \ ने नजराना मुबलिग रु0 0.00 प्रलेखानुसार पाकर निष्पादन स्वीकार किया । इस लेखपत्र का निष्पादन द्वितीय पक्ष श्रीमती सैफाली अग्रवाल पत्नी श्री दीपक अग्रवाल निवासी ५२, नियर हैप्पी होम विद्यालय, देहरादून जिला देहरादून उत्तराखण्ड \ ने भी स्वीकार किया ।
जिनकी पहचान श्री सोनू सिंह वेदी पुत्र श्री हरि सिंह निवासी ८७, अम्बाड़ी चेतना क्लब, विकास नगर, देहरादून जिला देहरादून उत्तराखण्ड तथा श्री धीरज मणी पुत्र श्री भवानी दत्त निवासी ग्राम-नैचोली पट्टी धारअकरिया,जिला टिहरी गढ़वालउत्तराखण्ड ने की।

उपनिबन्धक
टिहरी
25-Oct-2024

यह कि प्रथम पक्ष/पट्टेदाता/लीज दाता ने ग्राम-गढ, पट्टी-सारज्यूला, तहसील-टिहरी, जिला-टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड के खतौनी खाता संख्या 00019 फसली वर्ष 1427-1432 में दर्ज खेत संख्या 796 रक्वा 0.041 हे0 दर्ज खेत सं0-799 रक्वा 0.010 हे0, खेत संख्या 800 रक्वा 0.054 हे0, खेत संख्या 801 रक्वा 0.035 हे0, खेत संख्या 802 रक्वा 0.030 हे0, खेत संख्या 803 रक्वा 0.055 हे0, खेत संख्या 804 रक्वा 0.085 हे0, खेत संख्या 806 रक्वा 0.029 हे0, कुल 8 खेत कुल रक्वा 0.339 हे0 याने 3390 वर्ग मीटर भूमि का पट्टेदाता/प्रथम पक्ष मालिक भूमिधर व कब्जेदार स्वामी है उक्त भूमि को नीचे दी गई शर्तो व निबन्धन के अनुसार उक्त भूमि को पट्टे पर देने के लिए सहमत है, उक्त भूमि 27 साल के पट्टे पर लेना स्वीकार कर लिया है तथा पट्टेदार उत्तराखण्ड वैकल्पिक ऊर्जा अभिकरण (UREDA) के द्वारा 200 कि0वा0 सोलर पावर प्लांट स्थापित करने के सम्बन्ध में निर्गत परियोजना आवंटन पत्र सं0-599/उरेड़ा मु0मं0 सौर स्व0यो/2023-24 दिनांक 30.01.2024 के कम में 200 कि0वा0 सोलर पावर प्लांट स्थापित करने के प्रयोजन से उक्त भूमि को पट्टे पर ले रहा है।

1. यह कि पट्टा दिनांक 25.10.2024 से प्रारम्भ होकर 24.10.2051 याने 27 वर्ष के लिए रहेगा उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी पट्टेदार को उक्त भूमि की आवश्यकता होगी, तो आपसी समझौते पर पट्टा बढ़ाया जायेगा।
2. यह कि दोनों पक्षों द्वारा उक्त पट्टे पर दी गई भूमि का किराया मु0 10,000 रू0 प्रतिवर्ष तय किया गया है तथा वार्षिक औसत किराया वर्तमान में मु0 10,000 रू0 होता है, कुल 27 वर्ष का किराया मु0 2,70,000 रू0 तथा प्रतिमाह औसत किराया मु0 833.33 रू0 होता है किराया अवधि के दौरान किराये में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं होगी तथा एक वर्ष का किराया अग्रिम रूप से अदा कर दिया गया है तथा इसी प्रकार प्रतिवर्ष अग्रिम रूप से किराया अदा किया जायेगा।

SAgarwal

वही संख्या 1 रजिस्ट्रीकरण संख्या 3320 वर्ष 2024

चिन्मय अग्रवाल

सैफाली अग्रवाल

सोनू सिंह वेदी

धीरज मणी

प्रतिज्ञ एवं साक्षीगण भद्र प्रतीत होते हैं। सभी के अंगुष्ठ चिन्ह नियमानुसार लिये गये है।

रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी /
उप-निबंधक, टिहरी
25 Oct 2024

3. यह कि पट्टे पर दी गई भूमि से सम्बन्धित कोई कर या अन्य परिभार समय–समय पर जो कि किसी भी अवधि के लिए देय होगा, पट्टेदार द्वारा अदा किया जायेगा, पट्टेदार अपने नाम से उक्त भूमि पर विद्युत कनेक्शन, जल संयोजन व अन्य उपयोग के कनेक्शन इत्यादि व सौन्दर्यकरण करवा सकता है।

4. यह कि पट्टे पर दी गई भूमि का पट्टेदार को वैधानिक रूप से सौर ऊर्जा प्लांट लगाने के लिए जैसे चाहे इस्तेमाल, उपयोग, उपभोग करने का अधिकार होगा तथा उक्त भूमि पर पट्टेदार को किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत या व्यावसायिक उपयोग से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का सामान आदि रखने किसी प्रकार का स्थाई निर्माण तथा किसी भी प्रकार की लोडिंग, अनलोडिंग आदि करने का अधिकार होगा।

5. यह कि पट्टेदार को उत्तराखण्ड सरकार द्वारा उक्त वैकल्पिक सोलर पावर प्लांट लगाये जाने हेतु 25 वर्ष के लिए स्वीकृति मिल चुकी है।

6. यह कि पट्टादाता एवं पट्टेदार को पट्टा अनुबन्ध की अवधि के दौरान अनुबन्ध को ऋणदाता बैंक की अनुमति के बिना समाप्त करने का कोई अधिकार नहीं होगा। पट्टादाता उक्त भूमि को उक्त अवधि के दौरान विक्रय नहीं कर सकेंगे।

7. यह कि उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेश संख्या 1406/XVIII(II)2019-20(78)2018 द्वारा उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदार और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950) (संशोधन) की धारा–150(क) एवं धारा 156 का संशोधन अध्यादेश दिनांक 18.11.2019 के अनुसार भूमि लीज पर दिये जाने का प्राविधान किया गया है।

8. यह कि लीजशुदा भूमि का वार्षिक औसत किराया मु0 10,000 रू0 है तथा उक्त किराया के 6 गुना मु0 60,000 रू0 पर निर्धारित स्टाम्प शुल्क मु0 1200 रू0 अदा किया गया है।

9. यह कि इस पट्टे विलेख में बताये गये अनुसार पट्टादाता यह पुष्टि करता है कि पट्टेदार को परियोजना व इस पट्टे विलेख में दी गई जमीन के पट्टा अधिकारों को किसी भी वित्तीय संस्था से ऋण प्राप्त करने व किसी भी सिक्यूरिटि/गिरवी रखने के लिये पट्टेदाता से अनुमति या अनापत्ति प्रमाणपत्र हासिल करने की कोई जरूरत नहीं होगी और इस पट्टे में पट्टेदार के अधिकार एवं हित ऋणदाताओं के पक्ष में कर सकता है, जिनमें उनके प्रतिनिधि, उत्तराधिकारी, हस्तांतरण, और नियुक्त सम्मिलित है।

B Agarwal

(परियोजना के लिये ऋणदाता और पट्टेदार इस परियोजना के लिये हासिल किये गये या हासिल किये जाने वाले ऋण के भुगतान के लिये एक सिक्युरिटी के रूप में रख सकेगा, हालांकि परियोजना के ऋणदाताओं या पट्टेदार का कोई भी अधिकार पट्टे की अवधि से अधिक नहीं होगा जब तक की दोनों द्वारा इसे विस्तारित करने के लिये लिखित में कोई घोषणा नहीं होती है,) पट्टेदाता परियोजना के लिए पट्टेदार के द्वारा लिये गये किसी भी ऋण के लिये जिम्मेदार नहीं होगा, पट्टेदार के पास भूमि पार्सल का स्वामित्व एवं स्वामित्व अधिकारों को गिरवी रखने का अधिकार नहीं है, परन्तु उसके पास भूमि पार्सल पर इस पट्टे के अधिकारों को गिरवी रखने का हक हासिल है, पट्टे की समाप्ति के उपरान्त पट्टेदार एवं उसके ऋणदाताओं का भूमि पार्सल पर कोई अधिकार नहीं होगा, भूमि पर बैंक से पट्टादार ऋण ले सकता है।

10. यह कि पट्टादाता के द्वारा पट्टेदार के मध्य हस्ताक्षरित इस भूमि पट्टा विलेख (Land Lease Deed) से सम्बन्धित भूमि के सापेक्ष उस पर प्रस्तावित/स्थापित 200 कि0वा0 क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्रके विरूद्व बैंक ऋण बकाया होने की अवधि तक या भूमि पट्टा विलेख (Land Lease Deed) विद्यमान रहने की अवधि तक, जो भी अधिक हो, किसी भी प्रकार का कोई अन्य ऋणभार (Encumberance) पट्टादाता के द्वारा नही लिया जायेगा।

11. यह कि पट्टादाता एवं पट्टेदार के मध्य हस्ताक्षरित यह भूमि पट्टा विलेख (Land Lease Deed) ऋण के बकाया होने की तिथि तक उस बैंक, जिसके द्वारा पट्टेदार को 200 कि0वा0 क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिये ऋण उपलब्ध कराया गया है, की सहमति के बिना समाप्त नही किया जा सकता है। तथापि ऋणदाता बैंक के द्वारा उपलब्ध कराये गये ऋण के समाप्त हो जाने के उपरान्त यह भूमि पट्टा विलेख (Land Lease Deed) पट्टादाता एवं पट्टेदार की आपसी सहमति से समाप्त किया जा सकता है।

12. यह कि पट्टादाता एवं पट्टेदार के मध्य हस्ताक्षरित यह भूमि पट्टा विलेख (Land Lease Deed) दिनांक 25.10.2024 से प्रारम्भ होकर 24.06.2051 याने 27 साल की अवधि तक वैद्य होगा एवं इसमें दी गयी विभिन्न शर्तें दोनो पक्षों एवं दोनों पक्षों के उत्तराधिकारियों पर लागू होंगी।

13. यह कि यदि ऋणदाता बैंक के द्वारा पट्टेदार को Defaulter घोषित कर दिया जाता है तो उस स्थिति में ऋणदाता बैंक इस भूमि पट्टा विलेख (Land Lease Deed) को किसी अन्य पक्ष को नियमानुसार प्रतिस्थापित कर सकता है।

SAgarwal

14. यह कि पट्टादाता का प्रस्तावित/स्थापित 200 कि0वा0 क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्रों पर किसी भी प्रकार को कोई हक/अधिकार नहीं होगा।

प्रथम पक्ष/पट्टा दाता की उंगलियों की छाप–

दायें हाथ की अंगुलियों के निशान					
बायें हाथ हाथ की अंगुलियों के निशान					

द्वितीय पक्ष/पट्टेदार की उंगलियों की छाप–

दायें हाथ की अंगुलियों के निशान					
बायें हाथ हाथ की अंगुलियों के निशान					

SAgarwal

अतः आज दिनांक 25.10.2024 को इस अनुबन्ध को करने वाले पट्टादाता/पट्टेदार निम्न गवाहों की उपस्थिति में हस्ताक्षर करके निष्पादित किया जाता है।

ह0 प्रथम पक्ष/पट्टादाता

ह0 द्वितीय पक्ष/पट्टेदार

रचियता

देवेन्द्र [illegible]

एडवोकेट

[illegible] सिंह दुमोगा
एडवोकेट
[illegible]-05, मो.-9412076539
कोर्ट कम्पाउण्ड नई टिहरी
[illegible]-UK-2234/04, UP-1149/92

गवाह

1. सोनू सिंह वेदी पुत्र श्री हरी सिंह, निवासी–87, अम्बाड़ी चेतना क्लब, विकास नगर, देहरादून, उत्तराखण्ड।

   आधार सं0–**695117545167** मो0– **9412027512**

2. धीरज मणी पुत्र श्री भवानी दत्त, निवासी–ग्राम–नैचोली, पट्टी–धारअकरिया, जिला–टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड।

   आधार सं0– 822046567200 मो0– 9410544905

वही संख्या 1 जिल्द 1442 के पृष्ठ 367 से 392 पर क्रमाक 3320 पर आज दिनांक

25 Oct 2024 को रजिस्ट्रीकरण किया गया।

रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी /
उप-निबंधक,टिहरी
25 Oct 2024